राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2074/2012/जोधपुर.

मैसर्स स्टार एजेंसीज, महावतों की मस्जिद, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत–ई, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22/09/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 59ए/आरएसटी/जेयूए/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.03.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–ए, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य वर्ष 2004–05 का राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 29(6) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2007 को पारित करते हुए कर रूपये 48,138/–, ब्याज रूपये 17,330/– एवं शास्ति रूपये 2500/– की मांग कायम की गयी। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2012 से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2014 को पारित किया जा चुका है, विद्वान अभिभाषक ने उक्त आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील निष्प्रभावी हो जाने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक के अभिकथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2012 की पालना में पारित किये गये पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2014 का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2007 के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2012 के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2014 को पारित किया जा चुका है।

7. अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात अब प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

8. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

24/9/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य